

रमेश कुमार बनाम हाजी व अन्य

पीठासीन अधिवक्ता - रणछोड़ लाल, आर.ए.ए.ए.

प्रार्थीगण वकील - श्री मोहनलाल खिलेरी

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

निर्णय

दिनांक - 03.10.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा तालसर में खसरा सं. 225 रकबा 9.7772 हैक्टर व खसरा सं. 275 रकबा 11.7359 हैक्टर पटवार क्षेत्र तालसर तहसील धनाऊ में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा तालसर में खसरा सं. 225 रकबा 9.7772 हैक्टर व खसरा सं. 275 रकबा 11.7359 हैक्टर पटवार क्षेत्र तालसर तहसील धनाऊ की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से रथगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनकर किया।

पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



(रणछोड़ लाल)  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन